

आदेश अथवा पदो का हलाना

03.03.23

अंचल अधिकारी, पाकुड़ से प्रतिवेदन अप्राप्त है। अभिलेख का अवलोकन किया। यह वाद वर्ष 2014 में प्रारंभ की गयी है। आवेदिका द्वारा वाद में कोई अभिरुचि नहीं ली जा रही है। किसी प्रकार का अनुरोध या पैरवी आवेदिका द्वारा वाद आरंभ होने के पश्चात् नहीं की गई है।

अतः वाद में अग्रेतर कार्रवाई समाप्त की जाती है।


03.3.23

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
पाकुड़।